

य उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट महवा जिला दौसा

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

प्यारी देवी बनाम मंगलराम वगै०

मु०नं० 54 / 2019

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

16.03.2026

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र के तथ्य सारहीन होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।

आदेश सुनाया गया।

Mans
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा